

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी 2014—माघ 17 शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्र. एफ-ए-03-02-2014-1-पांच (05).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-195-2005-1-पांच (25), दिनांक 31 मार्च 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (एक) अनुक्रमांक 11 क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—
“12. बीड़ी”;
- (दो) अनुक्रमांक 14 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—
“14-क कपास (ओटी हुई या बिना ओटी हुई)”;
- (तीन) अनुक्रमांक 17 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—
“17-क आतिशबाजी”;
- (चार) अनुक्रमांक 22 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—
“22-क समस्त प्रकार के तिलहन”;

2. ये संशोधन दिनांक 15 फरवरी 2014 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्र. एफ-ए-3-02-2013-1-पांच(05).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2014-1-पांच(05), दिनांक 6 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 6th February 2014

No. F-A-3-02-2013-1-V (05).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. A-3-195-2005-1-V(25), dated 31st March 2006, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table,—

- (i) after serial number 11A, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—
“12. Bidi”;
- (ii) after serial number 14, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—
“14-A Cotton (ginned or unginned)”;
- (iii) after serial number 17, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—
“17-A Fireworks”;
- (iv) after serial number 22, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—
“22-A All kinds of Oilseeds”;

2. These amendments shall come into force with effect from 15th February 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्र. एफ-ए-03-02-2014-1-पांच (06).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-8-2010-1-पांच (53), दिनांक 20 अप्रैल 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“1-क. बीड़ी”;

(दो) अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“4-क मोबाईल फोन तथा उसके पार्ट्स सेल्युलर हैंडसेट तथा उसके पार्ट्स”;

(तीन) अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

- “8. पैकिंग सामग्री, रस्सियां तथा डोरियां (ट्विन्स).
9. मसाले.
10. तेंदुपत्ता.
11. समस्त प्रकार के होजरी सामान तथा तैयार कपड़े (रेडीमेट गारमेन्ट्स).”.

2. ये संशोधन दिनांक 15 फरवरी 2014 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2014

क्र. एफ-ए-3-02-2013-1-पांच(06).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2014-1-पांच(06), दिनांक 6 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 6th February 2014

No. F-A-3-02-2013-1-V (06).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. A-3-8-2010-1-V(53), dated 20th April 2010, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table,—

(i) after serial number 1, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

“1-A. Bidi”;

(ii) after serial number 4, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

“4-A Mobile Phones and parts thereof Cellular handset and parts thereof”;

(iii) after serial number 7, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

- “8. Packing materials, ropes and twines.
9. Spices.
10. Tendupatta.
11. All kinds of hosiery goods and readymade garments”;

2. These amendments shall come into force with effects from 15th February 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.